सहकारी साख संस्था की आदर्श उपविधियाँ

उपविधि क्रमांक –1 :– नाम, पता एवं कार्यक्षेत्र :–

संस्था का नाम :– **"म.प्र. कनकधारा सहकारी साख संस्था मर्यादित," भोपाल**

पंजीकृत पता :– 317, गौरवी स्टेट (भैरोपुर) मधुबन होम्स ग्यारह मील, होशंगाबाद रोड़, भोपाल

कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की सीमा तक सीमित रहेगा।

नोट :– संस्था के पंजीकृत पते पर किसी भी प्रकार से परिवर्तन होने पर इसकी सूचना पंजीयक एवं प्रत्येक सदस्य तथा उस संस्था को जिसकी यह संस्था सदस्य है, 30 दिन के अंदर पंजीकृत डाक द्वारा दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक –2 :– परिभाषायें :–

इन उपविधियों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(1) 'अधिनियम' से तात्पर्य म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 से है।

(2) 'नियम' से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 से है।

(3) 'सहकारी वर्ष' से तात्पर्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

(4) 'धारा' से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

(5) 'उपविधिया' से तात्पर्य अधिनियमों के अन्तर्गत इस संस्था की पंजीकृत अथवा पंजीकृत मान्य की हुई उपविधियों से है तथा जो तत्समय प्रवृत्त हो, और उनके अन्तर्गत उपविधियों का कोई पंजीकृत संशोधन आता है।

(6) 'पंजीयक' से तात्पर्य धारा–3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी संस्थाये, मध्यप्रदेश के 'पंजीयक' से हैं, अथवा उस अधिकारी से जिसे संस्था के सम्बन्ध में पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग

म.प्र.कनकधारा सहकारी साख संस्था

करने हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत किया हो।

(7) 'लाभांश' से तात्पर्य किसी सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशो के मूल्य के अनुपात में संस्था के लाभ में से चुकाई गई रकम से है।

(8) 'सदस्य' से तात्पर्य इस संस्था के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति/महिला या कोई ऐसा व्यक्ति/महिला जिसे रजिस्ट्रेशन के बाद उपविधियों अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो।

(9) 'अध्यक्ष' से तात्पर्य संस्था के, अधिनियम/नियमों/उपविधियों अनुसार नामांकित/निर्वाचित अध्यक्ष/सभापति या चेयरमेन से है।

(10) 'कार्यक्षेत्र' से तात्पर्य है वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जा सकती है।

(11) 'समिति' से तात्पर्य है धारा 48 के अधीन गठित किया गया 'संचालक मण्डल' प्रबंधकारिणी/प्रबंध समिति, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो।

(12) 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी' :— से तात्पर्य संस्था के प्रबंधन हेतु नियुक्त संस्था प्रबंधक से है जो संचालक मंण्डल के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्याधीन कार्य करेगा।

(13) 'राज्य शासन' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है।

(14) 'सेवानियम' से तात्पर्य अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत पंजीयक द्वारा प्रसारित सेवा नियमों से है।

(15) 'संस्था' से तात्पर्य उपविधि क्रमांक:01 में वर्णित "संस्था" से है।

(16) 'प्रतिनिधि' से तात्पर्य है संस्था का ऐसा सदस्य जो संस्था का प्रतिनिधित्व अन्य संस्था में करने के लिये प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित किया गया है।

(17) 'विनिर्दिश्ट पद' से तात्पर्य है अध्यक्ष /सभापति एवं उपाध्यक्ष / उपसभापति का पद

(18) 'निर्वाचन अधिकारी' से तात्पर्य है "निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी" कोई

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था

राज्य सरकार , राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी, जिसे इस हेतु लिखित रूप में निर्दिष्ट किया गया हो कि वह निर्वाचन अधिकारी के कतिपय कर्तव्यों का पालन करे व उस की सहायता करे। जो कि राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्यों से मिलाकर छानबीन समिति की अनुसंसा पर प्रधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

01. मुख्य सचिव, जो समिति का चेयरपर्सन होगा।
02. प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग सदस्य के रूप में
03. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग सदस्य के सचिव के रूप में।

(19) 'वित्तदायी बैंक' से तात्पर्य है कोई ऐसा बैंक जिसका उद्देश्य अन्य सोसायटियों को या उसके व्यक्तिक सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों को सृजित करना है और उसके अन्तर्गत आते हैं। म.प्र. सह. बैंक मर्यादित भोपाल तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जो संस्था उसके कार्य व्यवहार हेतु ऋणों की आपूर्ति करते है।

ऐसी परिभाषायें जो इन उपविधियों में वर्णित नही है, उनकी व्याख्या अधिनियम एवं नियमों में दी गयी परिभाषाओं से की जावेगी।

उपविधि क्रमांक (3) – उद्देश्य :–

इस संस्था का उद्देश्य अपने सदस्यों में मितव्ययता, आत्मनिर्भरता और सहयोग द्वारा उनकी आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करने का है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये संस्था निम्नलिखित कार्य करेगी :–

1. सदस्यों में बचत करने का अभ्यास उत्पन्न करना।
2. इस रकम की सुरक्षितता के लगाने का प्रबंध करना।
3. सदस्यों की आवश्यकतानुसार योग्य ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था करना।
4. सदस्यों के लिये अन्य आर्थिक सुविधायें उपलब्ध कराना तथा गृहोपयोगी वस्तुओं का क्रय–विक्रय इत्यादि करना।
5. शासन की ओर से ऋण लेन–देन के लिये एजेण्ट का कार्य करना।
6. महिला सदस्यों के आर्थिक उत्थान के लिये गृह उपयोगी वस्तुओं का निर्माण व क्रय–विक्रय करना।
7. सदस्यों के सामाजिक एवं मनोरंजन विकास के लिये कार्यक्रम बनाना व क्रियान्वित करना।
8. अन्य ऐसे कार्य करना, जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाना आवश्यक हो।

उपविधि क्रमांक (4) सुविधायें जो सदस्यों को प्रदान की जावेगी :–

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था
मर्यादित–भोपाल

4(1) सदस्यों की मांग के अनुरूप उचित मूल्य पर घरेलू एवं जीवनोपयोगी उपभोक्ता वस्तुओं को उनके निवास पर उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान की जावे।

4(2) संस्था के सदस्यों को संस्था के द्वारा बेची गयी वस्तुओं के लिये मरम्मत तथा अन्य सभी सुविधायें आदि प्रदान करना।

4(3) सदस्यों द्वारा संस्था से क्रय की गई वस्तुओं पर उचित मूल्य के अतिरिक्त प्रबंध समिति द्वारा तय किया गया कमीशन उपलब्ध कराना।

4(4) संस्था के संचालन एवं सहकारिता के माध्यम से सर्वांगीण विकास की जानकारी उपलब्ध कराना।

उपविधि क्रमांक (5) सदस्यता :–

संस्था का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति में निम्न अर्हतायें होनी चाहिए –

5(1) यह संस्था के कार्यक्षेत्र का निवासी हो तथा उसने संस्था की उपविधियों को पढ़कर मान्य कर लिया हो। सदस्य होने के उपरांत यदि वह संस्था के कार्यक्षेत्र के बाहर दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो वह संस्था का सदस्य नहीं रह सकेगा।

5(2) उसका आचरण अच्छा हो।

5(3) उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो भारतीय विधान के अन्तर्गत अनुबंध करने में सक्षम हो परन्तु मृत सदस्यों के अल्पव्य उत्तराधिकारियों के लिए आयु का प्रतिबंध लागू नही होगा। परन्तु अव्यस्क को न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के माध्यम से सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे सदस्य अधिनियम तथा नियमों के उपबंधो के अधीन रहते हुये अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकार का उपयोग उन दायित्वों के अधीन रहते हुए करेंगे जो इन उपविधियों के अधिकार है।

5(4) उसने न्यूनतम एक अंश क्रय हेतु रूपये 100.00 की राशि व प्रवेश शुल्क रूपये 50.00 जमा करा दिया हो।

5(5) उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो।

5(6) उसे राजनैतिक ढंग की सजा को छोड़कर किसी नैतिकता संबंधी अपराध में दण्डित न किया गया हो, परन्तु यदि दण्ड की अवधि से 5 वर्ष व्यतीत हो गए हो तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी।

5(7) उसे किसी सरकारी –सेवा/सहकारी संस्था से निष्कासित न किया गया हो।

5(8) यह अधिनियम की धारा 48 ए के अधीन निरर्हित न हो।

5(9) यदि उनका बालिग पुत्र/अविवाहित, बालिग पुत्री अन्य प्रस्तावित इस जैसी संस्था में। सदस्य है, तो वह शपथ पत्र पर घोषणा करेगी कि, पुत्र/पुत्री, पिता से अलग रहते है।

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी साख संस्था
मर्यादित–भोपाल

उपविधि क्रमांक (6) सदस्यता अभिप्राप्त करने हेतु प्रक्रिया :–

आरंभ में सदस्य वे होंगे जिन्होंने संस्था के पंजीयन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हो उसके बाद नये सदस्य प्रबंध समिति की स्वीकृति से सम्मिलित किये जावेंगे।

6(1) संस्था की सदस्यता हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन को अध्यक्ष एवं उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक द्वारा प्राप्त किया जावेगा। उक्त पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि प्रबंध समिति की प्रत्येक बैठक में उस बैठक तक प्राप्त हुए सभी सदस्यता आवेदनों को प्रबंध समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत करें, जिन पर प्रबंध समिति द्वारा अधिनियामों, नियामों एवं उपविधियों के अधीन स्वीकृत/अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय लेगी।

6(2) प्रबंध समिति को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्तानुसार पूर्ण आवेदन को स्वीकृत करें या उपविधियों/नियमों अनुसार अस्वीकृत करें, किन्तु यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो प्रबंध समिति के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन पत्र की अस्वीकृति के 15 दिवसों के अंदर आवेदक को रजिस्टर्ड डाक से या व्यक्तिगत तामिली द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत होने के कारणों की लिखित जानकारी जिस पर संस्था के अध्यक्ष या प्रबंधक हस्ताक्षर करेंगे, संसूचित करें, निर्णय की सूचना प्रबंधक द्वारा भेजी जावेगी। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर आवेदक प्रबंध समिति के निर्णय के विरूद्ध पंजीयक को अपील कर सकेगा।

6(3) संस्था द्वारा सदस्यता आवेदन पंजी तथा सदस्यता पंजी के रूप में दो पृथक–पृथक पंजियां रखी जावेगी। प्रथम पंजी में नवीन सदस्यता हेतु एवं सदस्यता समाप्ति हेतु प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टि की जावेगी तथा दूसरी पंजी (सदस्यता पंजी) में सदस्यता प्रदान करते ही सदस्य के संबंध में प्रविष्टियां अंकित की जावेगी। इन दोनों पंजीयों में प्रविष्टियां क्रमानुसार ही की जावेगी और किसी भी स्थिति में इनका कोई अपवाद नहीं होगा।

6(4) सदस्य बनाये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्येक व्यक्ति को पचास रूपये प्रवेश शुल्क जमा रना होगा। यदि प्रार्थना पत्र स्वीकृत न हुआ तो प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जावेगा।

6(5) <u>नांमकन –</u> प्रत्येक संस्था को सदस्यता रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगे और उसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार होगा जिसको सदस्य के मरने पर उसकी यदि कोई रकम संस्था में जमा हो तो वह वापिस दी जा सकें, अथवा उसके नाम परिवर्तन की जा सके। उत्तराधिकारी की मनोनीतगी और बाद में उसमें परिवर्तन दो साक्षियों के समक्ष लिखे जावेगे।

6(6) उसको यह भी लिख देना होगा कि वह संस्था की उपविधियों के अंतर्गत बनाई हुई पोट उपविधियों का ही इन दोनों में जो संशोधन उसकी सदस्यता की अवधि में हो उनका पूर्ण रूप से पालन होगा।

उपविधि क्रमांक (7) सदस्य बने रहने के लिए निबंध एवं शर्तें :–

7(1) कोई संस्था का सदस्य तब तक बना रह सकेगा, जबकि :–

अ. उसे उपविधि/नियमों/अधिनियमों अनुसार निष्कासित न कर दिया गया हो।

ब. उसके संस्था से त्याग पत्र को प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत न कर लिया गया हो।

स. उसकी मृत्यु हो गई हो।

द. उसका स्थानान्तरण म.प्र.से बाहर अन्यत्र कर दिया गया हो।

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था

7(2) सदस्यता जारी रखने के लिए अन्य मुख्य शर्तें निम्नानुसार है :–

अ. संस्था की प्रबंध समिति अथवा पंजीयक द्वारा विधि अनुसार विधि अनुसार दिये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना आवश्यक है,

ब. संस्था के गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें,

स. संस्था को अपनी गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित करने में मदद प्रदान करें,

द. संस्था से प्राप्त लोन/अमानतों की राशियां समय पर लौटाता रहे।

उपविधि क्रमांक (8) संभावित सदस्यों के लिए समय–सीमा :–

ऐसे संभावित सदस्य जिनका सदस्यता आवेदन – पत्र प्रबंध समिति द्वारा अस्वीकृत किये जाने से सदस्यता हेतु अपील पंजीयक के पास विचाराधीन होगी, अधिकतम एक माह में निर्णय संभावित सदस्य के पक्ष में होने के दिनांक से सदस्यता हेतु आवश्यक प्रवेश शुल्क, अंशराशि एवं आवेदन पत्र संस्था में जमा करायेगा। तभी वह सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं अधिकारों का पात्र होगा।

उपविधि क्रमांक (9) सदस्यता वापस लेने/अन्तरण के लिए प्रक्रिया :–

9(1) संस्था का कोई भी सदस्य लिखित में आवेदन देकर उसकी सदस्यता वापसी हेतु निवेदन कर सकेगा, किन्तु ऐसे त्याग पत्र के साथ सदस्य का शपथ पत्र, जिसमें उसके द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारणों का उल्लेख होगा, संलग्न करना आवश्यक होगा। त्याग पत्र बाबत् आवेदन संस्था के अध्यक्ष को सम्बोधित होगा और अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक को सौंपा जा सकेगा। संस्था की प्रबंध समिति ऐसे सभी आवेदनों पर विचार कर अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा त्याग पत्र स्वीकार/अस्वीकार कर सकेगा। यदि त्याग पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो उसके कारण अभिलिखित करने अनिवार्य होगें।

9(2) किसी भी सदस्य को अपने सदस्यता अंश राशि या हित किसी अन्य के हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक उसके द्वारा ऐसा अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारण न कर चुका हो तथा ऐसा अंतरण उस संस्था को या उसके किसी सदस्य को न किया जाये एवं वह अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए हस्तांतरण हेतु आवेदन के साथ रूपये–50.00 का हस्तांतरण शुल्क जमा करते हुए अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए आवेदन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक को प्रदान किया जा सकता है। जो ऐसे सभी आवेदनों को प्रबंधक समिति के निर्णय हेतु उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत करेगा। जब तक सदस्यता अंश का हस्तांतरण संस्था के रजिस्टारों में नहीं लिखा जाता, उस समय तक, जिसके नाम से हस्तांतरण होगा, उसका कोई अधिकार समिति के विरूद्ध नहीं होगा, न ही उसका परिणाम उस विवाद पर होगा, जो संस्था ने अंश हस्तांतरण करने वाले सदस्य पर किया हो। प्रबंध समिति द्वारा हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करने के अधिकतम 15 दिवस में हस्तांतरण संबंधी आवश्यक कार्यवाहियाँ समिति द्वारा की जावेगी।

उपविधि क्रमांक (10)(अ) सदस्यता से हटाने की प्रक्रिया :–

कोई सदस्य तदाशय हेतु आमंत्रित प्रबंध समिति की बैठक में उपस्थित एवं मतदान की पात्रता रखने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित कारणों में से किन्हीं से सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा :–

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी साख संस्था

10(1) कोई ऐसा कार्य, जिससे कि संस्था की साख को क्षति पहुचने की संभावना हो, या जिससे उनकी कुख्याति होने की संभावना हो, आशय करता है, या

10(2) मिथ्या कथन द्वारा संस्था को जानबूझकर धोखा देता है।

10(3) कोई ऐसा कारोबार करता है, जिससे यह संभावना हो कि वह सोसायटी द्वारा किये जाने वाले कारोबार की प्रतिद्वंद्विता में आता हो, या

10(4) अपने द्वारा देय धन का भुगतान करने में बार–बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्ही भी उपबंधों का अनुपालन करने में चूक करता है।

10(5) यदि कोई संस्था के गठन के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करता हो, या समिति को अपना उत्पादन चाहे जाने पर विपणन हेतु उपलब्ध नहीं कराता है, या

10(6) यदि उसने सदस्य बनने के बाद, सदस्यों हेतु आवश्यक अर्हताओं में से किसी एक को भी खो दिया हो परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक संबंधित सदस्य को उसे निष्कासित करने संबंधी प्रस्थापना को सात दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक से न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के संबंध में समिति के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

<u>उपविधि क्रमांक (10)(ब) सदस्यता की समाप्ति की प्रक्रिया :–</u>

निम्नलिखित में से किसी एक भी कारण से किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जावेगी:–

1. मृत्यु हो जाने पर
2. स्थायी रूप से विक्षिप्त हो जाने पर,
3. उपविधि क्रमांक 09 के अनुसार त्याग पत्र स्वीकृत होने पर,
4. उसके द्वारा धारित अंश किसी ओर को स्थानांतरित हो जाने पर
5. उपविधि क्रमांक –10(अ) के अनुसार निष्कासित किये जाने पर,
6. किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर संस्था देय राशि का भुगतान सदस्य पर बकाया के समायोजन के बाद एक वर्ष की अवधि में कर देगी।
7. सदस्य की मृत्यु की दशा में संस्था में उसके अंशो या जमा राशि में से उससे वसूली योग्य राशि कम करके शेष राशि उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या नामांकन के अभाव में प्रबंध समिती के निर्णय अनुसार ऐसे व्यक्ति को जो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के रूप में उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी हो, को इण्डोमिनिटा बाण्ड भरने पर भुगतान की जावेगी।

<u>उपविधि क्रमांक (11) सदस्यों के अधिकार :–</u>

संस्था के प्रत्येक सदस्य को निम्न अधिकार ही रहेगे:–

11(1) संस्था द्वारा सदस्यों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार,

11(2) सदस्यता से निष्कासन की स्थिति में पंजीयक को अधिनियमों/नियमों द्वारा निर्धारित समयावधि, अन्यथा 10 दिवसों में अपील का अधिकार,

11(3) अपने में से संस्था की प्रबंध समिति के सदस्य को मत देकर चुनने का अधिकार,

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी साख संस्था

11(4) उपविधियों/नियमों/अधिनियों अनुसार संस्था की आमसभा में भाग लेकर मतदान का अधिकार,

11(5) संस्था का गतिविधियों को एवं उसकी प्रगति के बारे में जानकारी अध्यक्ष अथवा प्रबंधक को लिखित आवेदन देकर प्राप्त करने का अधिकार,

11(6) संस्था के किसी भी कर्मचारी द्वारा अनियमितताएँ की जा रही है, स्पष्ट रूप से पाये जाने या सिद्ध होने पर उसकी सूचना अध्यक्ष या प्रबंधक को देने का अधिकार,

11(7) संस्था के किसी सदस्य द्वारा संस्था के गठन के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर उसकी सूचना संस्था के अध्यक्ष को देने का अधिकार,

11(8) सदस्यता से त्याग पत्र देकर अपनी अंश राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार सदस्यों को होगा। सदस्य की ओर बकाया किसी भी प्रकार की राशि या लोन की राशि घटाकर वह शेष बची राशि संस्था से प्राप्त कर सकेगा।

11(9) नामांकन का अधिकार,

12(10) संस्था के अन्य सदस्यों अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे सदस्य बनाये जाने की स्वीकृति संस्था द्वारा प्रदान की जा चुकी है, को अपना अंश हस्तांतरण कर सकने का अधिकार,

उपविधि क्रमांक (12)सदस्यता के अधिकार (मत देने के अधिकार सहित) का प्रयोग करने के लिये पात्रता बनाए रखने के लिए सदस्यों की न्यूनतम प्रतिबद्धताएँ :-

संस्था के प्रत्येक सदस्य को सदस्यत बनाये रखने व मत देने के लिए पात्रता धारण करने के लिए निम्न कृत्य आवश्यक होंगे :-

12(1). संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जा रहे कार्यों/कार्यवाहियों के संचालन में संस्था के पदाधिकारियों/अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना,

12(2) संस्था के सदस्य होने के लिए आवश्यक अनिवार्यताएं बनाए रखना,

12(3) संस्था के हितों के विरूद्ध कार्य न करना,

12(4) संस्था के व्यवसाय के समान ऐसा व्यवसाय प्रारंभ न करना जिससे संस्था के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,

12(5) संस्था द्वारा उसे जिन शर्तों पर सेवाएँ/लेना आदि प्रदान किया गया हो, उनका पालन करना।

12(6) संस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु उसके पदाधिकारियों / अधिकारियों द्वारा दिये गये विधि सम्मत निर्देशों का पालन करना।

12(7) संस्था के पक्ष में उसकी देयताओं को समय पर पूर्ण करना।

उपविधि क्रमांक (13) सदस्य द्वारा शोध्य किसी रकम के संदाय में व्यक्तिक्रम का परिणामः-

किसी सदस्य द्वारा संस्था से शोध्य किसी रकम के संदाय में व्यक्तिक्रम के परिणाम स्वरूप निम्न बिन्दु प्रभावशील होंगे :-

13(1) यदि व्यक्तिक्रम की अवधि 12 माह से अधिक होगी तब सदस्य अपने मत का प्रयोग, प्रबंध समिति (यदि वह प्रबंध समिति में पदाधिकारी/सदस्य के रूप में कार्यरत है) अथवा

अध्यक्ष
...कधारा सहकारी साख संस्था

आमसभा/विशेष आमसभा या संस्था के कार्यो संबंधी बैठक, में करने के लिए सुयोग्य नहीं रहेगा अर्थात अयोग्य हो जावेगा तथा न ही प्रबंध समिति का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र रह सकेगा,

13(2) यदि व्यक्तिक्रम की अवधि 2 वर्ष से अधिक हो जाती है तथा सदस्य संस्था को रकम जमा कराने की अवधि बढ़ाने का कोई तथ्यपूर्ण व प्रेक्टीकल प्रस्ताव नहीं करता है, तब संस्था अधिनियम अथवा नियमों अनुसार रकम वसूल करने की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।

13(3) व्यतिक्रम की अवधि 2 वर्ष से अधिक हो जाने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रबंध समिति में विचार हेतु रखा जाकर निर्णय लिया जा सकेगा, परन्तु ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पूर्व सदस्य को सुने जाने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक (14) अधिकृत अंशपूँजी :–

संस्था की अधिकृत अंशपूँजी पच्चीस लाख (25,00,000/–) रूपये होगी। इस प्राधिकृत अंशपूँजी में कमी अथवा वृद्धि व्यापक सम्मिलिन के ठहराव से सहकारी संस्थाओं के 'पंजीयक' की स्वीकृति के बाद की जावेगी। अधिकृत अंशपूँजी के एक अंश का मूल्य राशि रू. 100/– होगा। इस प्रकार संस्था के पास 25,000/– अंश होगें।

उपविधि क्रमांक (15)सदस्यों का अंश :–

15(1) प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश लेना आवश्यक होगा। कोई सदस्य उस समय तक बिके हुये अंशो की वसूल आई हुई रकम के 1/5 या 20,000.00 रूपये जो भी कम हो, मूल्य के अंश हो सकेगा। यदि किसी मृत सदस्य का उत्तराधिकारी होने से अथवा अन्य किसी कारण से किसी के पास इस सीमा से अधिक मूल्य के अंश हो जावें तो प्रबंधकारिणी समिति को अधिकार होगा कि अधिक अंश लेने वालों को बेच दें। लेकिन उपरोक्त सीमा राज्य शासन द्वारा लिये गये अंश पूंजी के लिये लागू नही होगी।

15(2) एक अंश का मूल्य रूपये एक सौ होगा और सदस्य को लिये गये अंश का पूरा मूल्य एक साथ जमा करना होगा।

उपविधि क्रमांक (16)अंश प्रमाण पत्र व हस्तांतरण :–

16(1) एक अंश प्रमाण पत्र लिये हुये अंश अथवा अंशो के लिये दिया जावेगा जिस पर संस्था के अध्यक्ष तथा प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे और संस्था की मुद्रा लगाई जावेगी। कोई सदस्य अंश को कम से कम एक वर्ष रखने के बाद प्रबंधकारिणी समिति की स्वीकृति से किसी दूसरे सदस्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे सदस्य बनाना समिति ने स्वीकृत किया हो, हस्तांतरण कर सकता है।

16(2) किसी भी हिस्से की बिक्री, उपहार, बंधक या अन्य किसी प्रकार से तब तक हस्तांतरण नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पूरी रकम प्राप्त न हो जाये और हिस्से लेने के संबंध में उपविधि में निर्धारित अधिकतम सीमा संबंधी शर्तें पूरी न की जाये।

16(3) यदि किसी सदस्य के पास दान स्वरूप या अन्य किसी प्रकार से उपविधि में अनुमत अधिकतम संख्या से अधिक हिस्से हो जायें जो प्रबंध समिति की यह शक्ति होगी कि वह इन अतिरिक्त हिस्सों को बेचने या संस्था की ओर से उन्हें खरीद लें और इससे प्राप्त रकम को उस सदस्य के नाम से जमा कर लें।

उपविधि क्रमाक (17) अंशों की वापिसी :–

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था

उस सदस्य को जिसका संबंध संस्था के उपविधि 10(अ)/10(ब) के अनुसार टूट गया हो उसके अंश के उस समय के मूल्य के समान उतनी रकम सहकारी सोसायटी नियमों के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति निश्चित करें तथा उनको जमा की हुई रकम से अधिक न हो छः मास के भीतर वापिस दी जावेगी।

यह रकम उस समय को घटाकर जो उससे संस्था को लेना ही, वापिस दी जावेगी, परन्तु किसी वर्ष में पिछले 31 मार्च पर अंशों की रकम जो जमा हो उसके 1/10 से अधिक रकम इस प्रकार वापिस नहीं की जावेगी।

उपविधि क्रमांक (18) सदस्य का दायित्व :–

18(1) उस ऋण तथा अन्य देने के लिये जो संस्था पर हो सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के कुल मूल्य के दस गुने तक सीमित होगा तथा राज्य शासन व नाम मात्र सदस्यों का दायित्व खरीदे हिस्सों के मूल्य तक रहेगा।

18(2) पिछले सदस्यों का दायित्व उस ऋण तथा अन्य देने के लिये जो संस्था पर उसके अलग होने के समय हो उसके अलग होने से दो वर्ष तक रहेगा। ऐसा दायित्व नाम मात्र सदस्यों व राज्य शासन पर न होगा।

18(3) मरे हुये सदस्य सम्पत्ति ऋण तथा अन्य देने के लिये जो उसके मरने की तारीख को संस्था पर दो सदस्य के मरने की तारीख से दो वर्ष तक उत्तरदायी होगें।

उपविधि क्रमांक (19) पूंजी व निधियॉं :–

19(क) पूँजी निम्नलिखित साधनों से एकत्रित की जावेगी :–

1. प्रवेश शुल्क द्वारा,
2. अंश निर्वहन द्वारा,
3. अमानतें जमा कराके या अग्रिम धन लेकर,
4. ऋण लेकर,
5. अनुदान आदि लेकर ओर,
6. लाभ से रक्षित बनाकर आदि।

19(ख) पंजीयक की स्वीकृति के बिना ऋण तथा अमानत की रकम अंश की वसूल की हुई रकम तथा रक्षित निधि के 10 गुने से अधिक नहीं होगी। संस्था की पूँजी उपविधि 3 में उल्लेखित कामों में लगाई जावेगी।

19(ग) सदस्यों से ऋण और जमा रकमें उस सीमा ओर उन शर्तो के अधीन ली जावेगी जो पंजीयक सहकारी संस्थायें द्वारा निर्धारित की जावे, इस ऋण में वह रकम नहीं होगी जो कच्चा माल या उत्पादित माल को रहन रखकर बैंको से उधार ली है।

19(घ) संस्था राज्य सरकार, राज्य शासन में कार्य कर रहे किसी विधि के अधीन बैंक, वित्तीय निगमों, नियमित निकायों और व्यक्तियों से निक्षेप व उधार प्राप्त कर सकेगी। नाममात्र ही सदस्यता प्रदान कर विशिष्ट करार या अनुमोदित परियोजना के अधीन अंशपूँजी के रूप में निधि भी प्राप्त कर सकेगी तथा किसी अन्य सोसायटी या नाम मात्र के सदस्य को उधार दे सकेगी।

म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था

उपविधि क्रमांक (20)निधियों का प्रयोगः–

संस्था की निधियों का प्रयोग संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक एवं संबंधित गतिविधियां संचालित करने में सामान्यतः किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक (21)निक्षप, ऋण एवं अन्य निधियों : सीमा व शर्ते :–

संस्था अपनी प्रदत्त अंशपूंजी तथा रक्षित निधि में से हानि को घटाने के बाद बची राशि से अधिकतम 10 गुना तक निक्षेप, ऋण पत्रों के माध्यम से निधियों सदस्यों/वित्तीय संस्थानों/शासन से प्राप्त कर सकेगी। जिनके लिए शर्ते प्रबंध समिति द्वारा आमसभा में अनुमोदन तय की जावेगी। संस्था द्वारा लोन एवं अमानतों के लिए अलग से पूंजी रखेगी, जिसमें आवश्यक प्रविष्टियाँ होगी तथा इसकी जानकारी आमसभा में भी सदस्यों को दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक (22) राज्य सहायता एवं वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्रयोजन व शर्तेः–

संस्था समय–समय पर आवश्यकता एवं विभिन्न शासकीय/अशासकीय योजनाओं के माध्यम से उपलब्धता अनुसार सहायता (ग्रांट आदि) प्राप्त कर सकेगा, इस प्रकार से प्राप्त निधियों का उपयोग संस्था के गठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक एवं संबंधित गतिविधियों के संचालन में किया जावेगा। प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में आवश्यक शर्तो का निर्धारण किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक (23) लाभ अथवा अधि–शेष का व्ययन :–

आमसभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ (नेट प्राफिट) का वितरण निम्नानुसार किया जावेगाः–

23(1) कम से कम 25 प्रतिशत राशि रक्षित निधि में स्थानांतरित की जावेगी।

23(2) म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम/नियामें के अनुसार जिला सहकारी संघ को अंशदान, दिया जा सकेगा।

23(3) शेष राशि में से 25 प्रतिशत तक लाभांश का वितरण अंशधारियों को आमसभा से अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा। परन्तु पंजीयक की पूर्वानुमति से लाभांश में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकेगी।

23(4) शेष धन में से संस्था के कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1965 के प्रावधानों के अनुसार बोनस, दिया जा सकेगा।

23(5) अधिनियम की धारा 43 के अनुसार परोपकार संबंधी आशय के लिये अंशदान दिये जाने हेतु निधि का निर्माण किया जा सकेगा, जो चेरेटिबल एलोमेट एक्ट, 1890 के प्रावधानानुसार संचालित होगा।

23(6) शेष धन लाभांश पूर्ति निधि तथा अन्य निधियों में जमा किया जावेगा, लाभांश के अंश के अतिरिक्त प्रवेश शुल्क , जप्त हिस्से की धनराशि तथा अनिवार्य अमानत में से कटा हुआ धन रक्षित निधि में जमा होगा रक्षित निधि का धन सदस्यों में वितरित नहीं हो सकेगा और न ही कोई सदस्य उसमें से कोई अंश पाने का अधिकारी होगा। इसका उपयोग साधारण सभा के प्रस्ताव के द्वारा पंजीयक की स्वीकृति उपरांत संस्था को जो हानि हुई हो, उस हानि को दूर करने के कार्य में किया जा सकता है।

म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था

नोट :– हस्तांतरित किए हुए अंशों का लाभांश उन सदस्यों को दिया जावेगा जिनमें नाम पिछले वर्ष के अंतिम दिवस पर रजिस्टर में अंकित हो।

उपविधि क्रमांक (24) निधियों/कोषों का गठन और उनका प्रयोजन :–

संस्था अपने गठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सदस्यों/असदस्यों आदि के उत्थान एवं कल्याण के लिए कल्याण कोषों का गठन कर सकेंगी। इस हेतु राशि उपविधि क्रमांकः 23(6) में दिये अनुसार उपयोग की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (25) साधारण/विशेष आमसभा को बुलाने की रीति व गणपूर्तिः–

25(1) संस्था के कारोबार के संबंध में साधारण सभा को पूर्ण अधिकार होंगे, वार्षिक आमसभा की बैठक प्रति वर्ष सहकारी वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर आहूत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो संचालक मण्डल के प्रस्ताव अथवा संस्था के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें आमसभा के उद्देश्य हों अथवा पंजीयक के आदेश पर विशेष आमसभा की बैठक एक माह के अन्दर बुलाई जावेगी। संस्था के पंजीयन के पश्चात् सदस्यों की जो प्रथम आमसभा होगी उसको भी अधिकार होंगे जो इन उपविधियों में वार्षिक आमसभा को दिये गये।

25(2) बैठक की सूचना :– आमसभा की कार्य सूची दिनांक, समय तथा स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को 14 स्पष्ट दिवस पूर्व दी जावेगी, उपविधियों में संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूपरेखा सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी।

आमसभा/विशेष आमसभा की सूचना निम्न प्रकार से दी जावेगीः–

अ0 ऐसी संस्था के मामले में जिसका मुख्यालय नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं, रजिस्ट्रीकृत डाक से,

ब0 डॉक प्रमाण पत्र के अधीन साधारण डॉक से या व्यक्तिशः प्राप्त करके, यदि संस्था की संख्या 250 से कम हो या,

स0 डॉक प्रमाण पत्र के अधीन साधारण डॉक से, यदि संस्था की सदस्य संख्या 250 से अधिक हो और ऐसे मामलों में सूचना संस्थान के क्षेत्र में प्रसारित स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में भी प्रकाशित करायी जावेगी।

परन्तु जब जिले में संस्थाओं के किसी वर्ग का साधारण सम्मेलन या वार्षिक साधारण सम्मेलन उसी दिन होना हो तो ऐसी सूचना संबंधित संस्था द्वारा प्रत्येक संस्थाओं की ओर से पंजीयक के प्राधिकार के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में एक सूचना का प्रकाशन किया जाना पर्याप्त होगा।

द0 14 स्पष्ट दिवस पूर्व पंजीकृत डाक से जारी की गई सूचना समय पर तामिल न होने के कारण बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

25(3) गणपूर्ति/कोरमः– आमसभा या विशेष आम सभा की बैठक के लिये गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगा। आम सभा या विशेष आम सभा की सूचना जारी करने के दिनांक को संस्था की कुल सदस्य संख्या का 1/10 अथवा 50 सदस्यों में से जो भी कम हो गणपूर्ति न हो तो, बैठक जब तक कि बैठक बुलाये जाने के सूचना पत्र में अन्यथा उल्लेखित न हो, अध्यक्ष द्वारा ऐसी तारीख, ऐसे समय और स्थान के लिये स्थगित कर दी जायेगी। जैसा कि वह घोषित करें और स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और स्थगित बैठक में सदस्यों को सूचना के साथ परिचालित की गई कार्यसूची के विषयों पर ही चर्चा की जावेगी। परन्तु आमसभा/विशेष

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी साख संस्था

आमसभा की बैठक जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की अध्यापेक्षा पर बुलाई गई हो, स्थगित नहीं की जावेगी, किन्तु विघटित कर दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक (26) साधारण सम्मेलनों की आवृत्ति :–

वार्षिक आमसभा की बैठक प्रति वर्ष सहकारी वर्ष की समाप्ति के 3 माह के अन्दर आहूत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो संचालक मण्डल के प्रस्ताव अथवा संस्था के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें आमसभा बुलाने की मांग की गई है अथवा पंजीयक के आदेश पर विशेष आमसभा की बैठक एक माह के अन्दर बुलाई जा सकती है।

उपविधि क्रमांक (27)साधारण सभा में मताधिकार :–

साधारण सभा में प्रत्येक उपस्थित सदस्य को उसके कितने ही अंश क्यों न हों केवल एक मत देने का अधिकार होगा। कोई सदस्य अपने प्रतिनिधि द्वारा मतदान नहीं कर सकेगा। उन मामलों के अतिरिक्त जिनके निर्णय के लिये मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम उसके अंतर्गत नियम या संस्था की उपविधियों में विशेष बहुमत से होगा, दोनों पक्षों में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। संस्था की प्रबंध समिति का चुनाव अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान अनुसार होगा, परन्तु चुनाव के अतिरिक्त सामान्य विषयों में मतगणना हाथ उठाकर अथवा उसी पद्धति से जो सभा के अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जावे, सम्पन्न होगी।

उपविधि क्रमांक (28) साधारण सभा के विषय :–

साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत से कोई सदस्य कार्य सूची में न किया हुआ प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा प्रश्न किसी सदस्य के निकाले जाने अथवा निकाले हुए सदस्यों को फिर से भर्ती करने अथवा इन उपविधियों में संशोधन करने के संबंध में अथवा ब्याज व पारिश्रमिक की दरों में घट बढ़ करने के बारे में नहीं होगा।

उपविधि क्रमांक (29) साधारण सभा की अध्यक्षता :–

संस्था का अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि दोनों उपस्थित न हों तो संस्था के अन्य सदस्यों में से जिसको उपस्थित सदस्य निर्वाचित करें साधारण/विशेष साधारण सभा की, अध्यक्षता करेगा।

परन्तु ऐसी स्थिति में जबकि अधिनियम की धारा 49(8) के तहत् पंजीयक द्वारा संस्था का कार्यभार संभाल लिया गया हो, अथवा धारा 53(13) के तहत् निर्वाचित प्रबंध समिति के स्थान पर नामांकित समिति गठित की गई हो, साधारण सभा की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

उपविधि क्रमांक (30) आमसभा के कर्तव्य एवं अधिकार विषय :–

साधारण सभा में उन कार्यों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत हो निम्नलिखित कार्य होंगें :–

30(1) इन उपविधियों के अनुसार संचालक मण्डल/प्रबंध समिति के सदस्यों का चुनाव कराना,

30(2) वार्षिक पत्रक और उनसे संबंधित सम्पत्ति की रिपोर्ट पर विचार करना,

30(3) लाभ का वार्षिक बजट स्वीकृत करना

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था
भोपाल

30(4) संस्था का वार्षिक बजट स्वीकृत करना

30(5) यह निश्चित करना कि अमानतें/लोन, कितना किस अवधि के लिए और किस ब्याज दर पर लिया जाये।

30(6) संस्था के ऑडिट तथा निरीक्षण टीप पर समिति द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार करते हुये आवश्यकतानुसार उचित निर्देश देना।

30(7) संस्था के कार्य संचालन के लिये उपविधियों में आवश्यक संशोधन पर विचार करना,

30(8) संचालक मण्डल के सदस्यों पर बकाया लोन व अन्य अग्रिम की जानकारी से अवगत करना/होना।

30(9) अन्य बातों पर विचार करना जो संचालक मण्डल या सदस्यों की ओर से प्रस्तुत किए जावें।

30(10) गत आमसभा की कार्यवाहियों की पुष्टि करना।

उपविधि क्रमांक (31)उपविधि के बनाने/संशोधन करने की रीति :-

संस्था के गठन के समय प्रस्तुत उपविधियों पंजीयक/जिले के उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, से अनुमोदन उपरांत लागू होगी। तदुपरांत सिवाय आमसभा अथवा विशेष आमसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत के इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का संशोधन नहीं हो सकेगा। सम्मेलन/सभा बुलाने के सूचना पत्र में प्रस्तावित संशोधन लिखा जावेगा, और सूचना पत्र कम से कम 14 दिन पहले दिया जावेगा, ऐसा संशोधन इस समय तक व्यवस्था में न आ सकेगा जब तक कि उप/सहायक पंजीयक उसको स्वीकृत कर उसका पंजीयन न कर लें।

उपविधि क्रमांक (32)निर्वाचन संचालन की प्रक्रिया :-

संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, सहकारी बैंक अथवा अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने हेतु सदस्यों के चुनाव का संचालन मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 तथा उसमें समय समय पर हुए संशोधन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार होगा।

उपविधि क्रमांक (33) चुनाव संचालन की प्रक्रिया यदि रजिस्ट्रार चुनाव कराने में असफल रहता है:-

यदि पंजीयक संस्था के चुनाव का संचालन का कार्य करने में असफल रहता है तो संस्था का संचालक मण्डल संस्था के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य को चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सौंप सकेगा।

उपविधि क्रमाक(34) (अ) प्रबंध समिति/संचालक मण्डल का गठन :-

संस्था के कार्य संचालन के लिये एक प्रबंध समिति गठित की जायेगी, समिति के कुल 13 (तेरह) सदस्य होंगे जिनमें एक सदस्य पंजीयक एवं एक सदस्य वित्तदायी बैंक द्वारा नामांकित तथा शेष 11 सदस्य निर्वाचित होंगे। प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल केवल तीन माह का होगा। तीन माह की अवधि में ही नवीन प्रबंध समिती का निर्वाचन करना होगा।

परन्तु विशेष परिस्थिति में पंजीयक की अनुमति से अंतरिम कमेटी के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकेगी।

अध्यक्ष
मप्रकनकधारा सहकारी शाख संस्था

34(ब) जिला उप/सहायक पंजीयक का प्रतिनिधि :–

जिला उप/सहायक पंजीयक का प्रतिनिधि सहकारिता अधिनियम की धारा–52(1) के अनुसार म. प्र. शासन की अंशपूँजी होने पर संस्था की साधारण अंशपूँजी में राज्य शासन की अंशपूँजी के अनुरूप राज्य शासन संस्था को संचालक मण्डल में संचालक नाम निर्दिष्ट करेगा।

34(स) संस्था की प्रबंध समिति में निम्नानुसार स्थान आरक्षित होंगे:–

(एक) दो स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। ✓

(दो) यदि आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, तो कम से कम आधे स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये ऐसे अनुपात में आरक्षित रखे जायेंगे, जो विहित किया जाये।

(तीन) यदि एक चौथाई या एक चौथाई से अधिक किन्तु आधे से कम सदस्य अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, तो तीन स्थान ऐसी जातियों, जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये आरक्षित रखे जाऐंगे, जिनमें प्रत्येक एक स्थान प्रत्येक वर्ग के लिये आरक्षित रखा जायेगा।

(चार) यदि अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों की संख्या संस्था के सदस्यों की कुल संख्या के एक चौथाई से कम है तो एक स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये आरक्षित रखा जावेगा। जिसके सदस्य संस्था के अधिक संख्या में हो।

34(द) प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद सदस्यगण अपने में से अध्यक्ष, एवं दो उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और अन्य संस्थाओं के लिये प्रतिनिधियों के निर्वाचन निम्नानुसार किया जावेगा।

(एक) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदः

क. अनुसूचित क्षेत्र में सक्रिय संस्था में :

1. अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजातिम या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों में से निर्वाचित किया जावेगा।
2. उपाध्यक्ष का एक पद महिला सदस्य द्वारा धारित किया जायेगा। ✓
3. उपाध्यक्ष का एक पद किसी भी सदस्य द्वारा धारित किया जावेगा।

ख. गैर अनुसूचित क्षेत्र में सक्रिया संस्था में :

1. अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक पद अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य द्वारा धारित किया जावेगा।
2. उपाध्यक्ष का एक पद महिला सदस्य द्वारा धारित किया जावेगा। ✓
3. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य अध्यक्ष, पद पर नही चुना जाता तो उपाध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य द्वारा धारित किया जायेगा और यदि अध्यक्ष पद पर उक्त वर्ग का सदस्य चुन लिया जाता है तो उपाध्यक्ष पद किसी भी वर्ग के सदस्य के लिये होगा।

34(इ) :– कोई व्यक्ति संस्था में किसी विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित होने व नियुक्त किये जाने का पात्र नहीं होगा और वह उस रूप में अपने पद धारण करने से प्रवरित हो जावेगा। यदि वह उस

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था

संस्था में कोई विनिर्दिष्ट पद अपने सहयोजन या अपनी नियुक्ति या दोनो कालावधि को सम्मिलित करते हुए लगातार कार्यकालों तक या 11 वर्षो की लगातार कालावधि जो भी कम हो धारण कर चुका हो। यह भी कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट पद पर पुननिर्वाचित या पुर्ननियुक्त नही किया जावेगा। जब तक पूरे एक कार्यकाल के बराबर कालावधि का अवसान हो जो जाये।

34(ई) :– कोई भी व्यक्ति संस्था में अध्यक्ष या सभापति अथवा उपाध्यक्ष या उपसभापति के रूप में निर्वाचन का पात्र नही होगा। यदि वह संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या जिला पंचायत जनपद पंचायत नगरीय स्थानीय, निकाय, मण्डी समिति कोई पद धारण करता है।

उपविधि क्रमांक (34) (फ) प्रतिनिधि का चुनाव :–

संस्था की प्रबंध समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के साथ–साथ अन्य सोसायटी जिसका कि वह सदस्य है, में संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रतिनिधि चुनेगी और ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि को संस्था के चुनाव होने तक वापिस नहीं बुला सकेगा।

1. यदि संस्था में आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति के हो, वहां प्रतिनिधि भी ऐसी जातियों, जनजातियों के सदस्यों में से भेजा जायेगा।
2. जहाँ सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य अन्य पिछड़े वर्गो के है, वहाँ ऐसा प्रतिनिधि ऐसे वर्गो के सदस्यों में से होगा।

आरक्षित स्थान निर्वाचन द्वारा न भरे जाने की स्थिति में प्रबंध समिति/संचालक मण्डल निर्वाचित सदस्य सहयोजन के लिये आयोजित बैठक में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन के द्वारा करेंगे, जिसके लिये स्थान आरक्षित है। कोरम के अभाव में सहयोजन नहीं किया जावेगा। आरक्षित स्थान निर्वाचन या सहयोजन द्वारा न भरे जाने की दशा में – पंजीयक उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके लिए वह स्थान आरक्षित हैं, नामांकन के द्वारा पूर्ति करेंगे। प्रबंध समिति/संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन होने पर प्रबंध समिति अपने सदस्यों में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रतिनधियों के निर्वाचन एवं सहयोजन के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता उस निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी, जिसे पंजीयक निर्वाचन हेतु नियुक्त करें।

उपविधि क्रमांक (35) संचालक होने की पात्रता :–

किसी भी व्यक्ति में संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यातायें होना आवश्यक है:–

35(1) निर्वाचन दिनांक से 45 दिन पूर्व से संस्था की सदस्यता प्राप्त कर चुका हो तर्थ कम से कम एक अंश का स्वामी हो (प्रथम संचालक मण्डल के गठन के लिये यह अनिवार्यता लागू होगी)

35(2) वह संस्था में लाभ के पद पर न हो,

35(3) संस्था के व्यवसाय के समान ऐसा व्यवसाय न करता हो जिससे संस्था के हितों पर कुठाराघात होता हो।

35(4) वह संस्था के लिए हुये किसी लोन या अग्रिम चुकाने में 12 माह से अधिक का डिफाल्टर न हो।

35(5) केन्द्र/राज्य सरकार या सहकारी संस्था की सेवा से बर्खास्त न किया गया हो।

35(6) म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अनुसार संचालक मण्डल में पद धारण करने के लिये अयोग्य न हो।

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था

35(7) दिवालिया या पागल न हो।

35(8) यदि कोई संचालक पदाधिकारी, प्रतिनिधि हो सहकारी अधिनियम की धारा 50(क) के अन्तर्गत कोई निरहर्रता व्याप्तम है, तो ऐसे पद नहीं रह पावेगा, यदि वह सहकारी अधिनियम की धारा 50(क) कबे विनिर्दिष्ट निरहर्रता से निरस्त हो जाता है तथा उप/सहायक पंजीयक उसके स्थानों को रिक्त घोषित करेगा' संस्था प्रबंधक ऐसे संचालक/प्रतिनिधियों की जानकारी ऐसे निरहर्रता धारण करने के 15 दिवस के अन्दर जिले के उप/सहायक पंजीयक को देंगे।

उपविधि क्रमांक (36) संचालक पद पर बने रहने की शर्ते :–

कोई भी व्यक्ति संचालक पद पर तब तक बना रह सकता है:–

36(1) जब तक वह संचालक नियुक्त होने के लिए उपविधि क्रमांक : 35 में लिखित अनिवार्य योग्यताऐं पूर्ण करता हो,

36(2) जब तक कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुबंध करने योग्य हो,

36(3) जब तक उस निर्वाचित होने के बाद में किसी अयोग्यता के धारण करने के कारण संचालक के पद से हटा न दिया गया हो।

उपविधि क्रमांक (37) प्रबंध समिति का कार्यकाल :–

37(अ) प्रबंध समिति/संचालक मण्डल के सदस्यों एवं पदाधिकारियों (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना संचालक मण्डल की प्रथम बैठक जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो, के दिनांक से होगी। सामान्यतः संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा परन्तु उक्त अवधि के बीतने पर अगले संचालक मण्डल का निर्वाचन किसी तकनीकी कारण से न हो पाने अथवा म0प्र0 सहकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों की अवधि उक्त सामान्य 5 वर्ष की अवधि से अधिक हो सकती है।

37(ब) संस्था की प्रथम प्रबंध समिति पंजीयन की तिथि से तीन माह के लिए पंजीयक द्वारा नामांकित द्वारा की जावेगी इस अवधि में म0प्र0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्वाचन की कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

37(स) यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य समिति की तीन लगातार बैंठको में कोई ऐसा कारण बतायें बिना जिसे समिति उचित समझे, अनुपस्थित रहे तो यह समझा जावेगा कि वह प्रबंध समिति का सदस्य नहीं रहा।

उपविधि क्रमांक (38) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संचालकों को हटाने और रिक्तियों को भरने की प्रक्रियाः –

38(1) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालकों को हटाने की प्रक्रिया :–

संचालक मण्डल के किसी भी सदस्य/पदाधिकारियों को संचालक मण्डल से हटाने के लिये उनके विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को संचालक मण्डल अपनी बैठक में मत देने के लिए उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के बहुमत से ऐसे संचालक या अन्य पदाधिकारियों को हटाने की अनुशंसा करने का प्रस्ताव पास कर सकेगा तथा संबंधित सदस्यों/पदाधिकारियों को ऐसा प्रस्ताव पास करने के उपरांत न्यूनतम 15 दिन की समयावधि में जवाब देने का अवसर देते हुए कारण बताओं नोटिस,व्यक्तिगत, रूप से पावती लेकर अथवा पंजीकृत डाक से अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपलब्धता पर उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रेषित किया जा सकेगा। उक्त नियत

अध्यक्ष
कनकधारा सहकारी शाख संस्था

अवधि के बीतने के उपरांत अथवा समयावधि में प्राप्त जवाब को संतोषप्रद न पाये जाने पर संचालक मण्डल अपनी अगली बैठक में मत देने के लिए उपस्थित कुल सदस्यों में से 2/3, सदस्यों के बहुमत से ऐसे सदस्य/पदाधिकारियों को संचालक मण्डल से हटाने का निर्णय पारित किया जा सकेगा। संचालक मण्डल के किसी भी सदस्य/पदाधिकारियों को हटाने के लिए जारी नोटिस में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा, जिन पर विचार उपरांत संचालक मण्डल द्वारा उसे उन्हें हटाये जाने की अनुशंसा की गई हो। ऐसे किसी भी पदाधिकारियों/संचालक को हटाये जाने का निर्णय होने पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त सदस्य के हस्ताक्षर से जारी सूचना पत्र से संबंधित को व्यक्तिगत रूप से पावती लेकर या पंजीकृत डाक से प्रेषित कर निर्णय से अवगत कराया जा सकेगा। संबंधित संचालक पदाधिकारी ऐसे किसी भी निर्णय के विरूद्ध, पंजीयक के पास, उसे हटाये जाने के निर्णय के आदेश के जारी होने के दिनांक से अधिकतम 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा।

38(2) <u>रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया :–</u>

यदि किसी समय प्रबंध समिति में से किसी सदस्य/संचालक का पद, संस्था द्वारा अन्य सहकारी संस्थाओं को भेजे गये प्रतिनिधि, या संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद त्याग देने, देहावसान हो जाने या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो ऐसे रिक्त पद की पूर्ति इस हेतु बुलाई गई बैठक में ही की जावेगी और ऐसी बैठक की अध्यक्षता पंजीयक के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी। इस हेतु बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति (कोरम) होना आवश्यक है।

<u>उपविधि क्रमांक (39) संचालक मण्डल के सम्मेलनो को बुलाने की रीति और उसकी गणपूर्ति (कोरम) :–</u>

39(1) प्रबंध समिति/संचालक मण्डल का सम्मेलन आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में व अधिकृत किये जाने पर उपाध्यक्ष द्वारा न्यूनतम एक सप्ताह का लिखित नोटिस देकर बुलाया जा सकेगा। ऐसे सूचना – पत्र में सम्मेलन की दिनांक, स्थान , समय का स्पष्ट उल्लेख होगा। सूचना–पत्र व्यक्तिशः तामिल कराया जावेगा या नामांकित व्यक्ति के कार्यालय पर व अशासकीय/ सदस्य के निवास पर उसके साथ निवास करने वाले किसी संबंधित बालिग व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर छोड़ा जा सकेगा। बैठक के लिए निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय के 30 मिनट बीतने पर भी कोरम न हो तो, बैठक दूसरी अन्य तारीख, समय व स्थान के लिए स्थगित कर दी जावेगी जैसा सूचना पत्र में उल्लेखित हो, अन्यथा उपस्थित सदस्य निश्चित करें, परन्तु ऐसी बाद में होने वाली बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।

39(2) आवश्यक परिस्थिति में जबकि कमेटी की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय न हो तो कमेटी के सदस्यों में कागजात घुमाकर आदेश प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कागजात घुमाकर लिये गये निर्णय को कमेटी की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जावेगा।

39(3) <u>कोरम :–</u> संचालक मण्डल की बैठक के लिये कोरम 1/2 अथवा 6 सदस्य जो भी अधिक होगा।

<u>उपविधि क्रमांक (40) संचालक मण्डल के सम्मेलनों की आवृत्ति :–</u>

प्रबंध समिति/संचालक मण्डल की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी। परन्तु कम से कम तीन माह में एक बार बैठक अवश्य बुलाई जावेगी। यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में संचालक मण्डल की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो प्रबंध समिति उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रबंध समिति की सदस्यता से अलग कर सकती है। ऐसा अलग हुआ सदस्य फिर एक वर्ष तक प्रबंध समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकेगा। सब प्रस्तावों का

अध्यक्ष
म.प्र.वनकधारा सहकारी शाख संस्था

निर्णय बहुमत से किया जायेगा। दोनों पक्षों में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

उपविधि क्रमांक (41) प्रबंध समिति/संचालक मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्यः–

प्रबंध समिति के निम्नानुसार अधिकार एवं कर्तव्य होगें:–

41(1) उन प्रस्तावों का पालन करते हुए जो आमसभा समय–समय पर पारित करें, उसके तथा संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भूमि, भवन, वाहन या अचल/चल सम्पत्तियों मोल लेना, प्राप्त करना, पट्टे करना, पट्टे पर लेना, गिरवी रखना, किराए पर देना या अपने पास रखना, बेचना, बदलना, पट्टे पर देना व अन्य संबंधित कार्य करना उक्त कार्य संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरांत ही सम्पन्न किये जा सकेंगे।

41(2) संस्था के वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, उनको अधिकारों व कार्य आवंटित करना, दण्डित, पदोन्नत करना, उनसे आवश्यक प्रतिभूति लेना, उनकी योग्यताऐं, व सेवा शर्तें निधारित करना।

41(3) आमसभा द्वारा स्वीकृत बजट के अंदर खर्च करना।

41(4) नए सदस्यता प्रदान करना और उनके अंश स्वीकृत करना तथा सदस्यों के सदस्यता, अंश स्वीकृति या अंश वापिसी संबंधी प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और उनका स्वीकृत या अस्वीकार करना।

41(5) संस्था के कामकाज संबंधी शिकायतों की सूचना और उनका निराकरण करना।

41(6) संस्था की ओर से लोन लेना और यह तय करना कि लोन दस्तावेजों पर संस्था की ओर से कौन हस्ताक्षर करेगा।

41(7) सदस्यों के त्याग पत्र पर विचार कर स्वीकार करना और इसी प्रकार निष्कासन पर निर्णय लेना।

41(8) अमानते प्राप्त करना।

41(9) प्रबंधक के कार्यो की जांच करना और यह देखना कि संस्था के हिसाब के या अन्य रजिस्टर ठीक ढंग से रखे जाते है।

41(10) जो वैधानिक कार्यवाही या वाद संस्था की ओर से या उनके किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध संस्था के कारोबार के संबंध में हो उनमें पैरवरी करना, समझौता करना या बाद वापिस लेना तथा संस्था की ओर से पैरवी करने के लिये संस्था के किसी संचालक/कर्मचारी/या बाहरी वकील को अधिकृत करना।

41(11) पंजीयक एवं सहकारी अंकेक्षक को संस्था के निरीक्षण हेतु कागजात व रजिस्टर प्रस्तुत करना, उनके अंकेक्षण तथा निरीक्षण टीप का पालन करना, पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कराना तथा पालन प्रतिवेदन और उत्तरों को आमसभा में प्रस्तुत करना।

41(12) संस्था के वार्षिक आय–व्यय पत्रक बनवाना और आगामी वर्ष के लिए आय व्यय का पत्रक बनाकर आमसभा में प्रस्तुत करना।

41(13) पंजीयक द्वारा अंकित अंकेक्षण शुल्क आदेश प्राप्ति के 15दिन के अंदर शासकीय कोषालय में जमा करवाना।

41(14) संस्था की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंक के अंश क्रय करना, वापस करना और आवश्यक हस्ताक्षर करना।

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था
मर्यादित भोपाल

41(15) अधिनियम की धारा 44 के अनुसार पंजी का विनियोजन करना।

41(16) अधिनियम की धाराओं के अनुसार आमसभा/विशेष आमसभा की बैठक बुलाना।

41(17) संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों में से अन्य संस्थाओं के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन कराना।

41(18) प्रत्येक सहकारी वर्ष 31 मार्च के अन्त में संस्था के वित्तीय पत्रक तैयार कर एक माह की अवधि में पंजीयक को प्रस्तुत कराना।

41(19) संचालक मण्डल के सदस्यों के त्याग पत्र देने पर संचालक मण्डल में उन पर विचार करना एवं इसी अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

41(20) संस्था के कारोबार के संचालन के संबंध में अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों को दृष्टिगत रखते हुए संचालक मण्डल के अनुमोदन पर पूरक नियम बनाना और आमसभा से अनुमोदन के पश्चात् उन पर कार्य करना।

41(21) ऋण के प्रार्थना पत्रों का निर्णय करना। ऋण स्वीकृत करना तथा ऋण की वसूली करना। ऋण की किश्ते न आने पर कारण मालूम करना एवं वसूली की वैधानिक कार्यवाही करना।

41(22) प्रत्येक सहाकरी वर्ष के अन्तमें संस्था के सदस्यों की सूची तैयार कराकर प्रकाशित करवाना, जिसमें सदस्यों का वर्ग जैसे अनु0 जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व महिला का उल्लेख सदस्य के नाम के समक्ष दर्शाया जावेगा। ऐसी सूची संस्था के एवं वित्तदायी संस्था के कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी।

41(23) लोकहित में संस्था की गतिविधियों/सुविधाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराना।

41(24) संस्था की उपविधियों में आवश्यकतानुसार संशोधन करवाना।

41(25) संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सभी कार्यवाही करना।

41(26) प्रबंध समिति के सदस्य साधारण, व्यवहार कुशल होने के नाते संस्था का सब कार्य लगन से संचालित करेगें एवं उस हानि के लिये उत्तरदायी होंगे जो अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों के प्रावधान के विरूद्ध कार्य करने में संस्था को हो।

41(27) यह देखना कि संस्था के वेतन भोगी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रहे है तथा संस्था की सम्पत्ति ठीक प्रकार एवं ठीक दशा में रखी जाती है।

41(28) संस्था के कार्यो के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कमेटी के सदस्यों में काम का विभाजन करना एंव संस्था के समस्त अथवा कुछ अधिकारियों को अपने समस्त अथवा कुछ अधिकार सौंपना। यदि आवश्यक हो तो वैधानिक परामर्शदाता नियुक्त करना।

41(29) संस्था के प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों से प्रतिभूति लेना जो पंजीयक द्वारा निर्धारित मान से कम न हो।

41(30) अन्य कर्तव्य तथा अधिकार अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के अनुसार होंगे।

उपविधि क्रमाक 41(ब)

प्रबंध समिति अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार (क्रमानुसार 1,2,4,6,7,8,9,10,14,15,16,17,19,20,21,24 को छोड़कर) अध्यक्ष या प्रबंधक को सौंप सकेगी।

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था

किन्तु संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत् अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा किये गये कार्यों का विवरण संचालक मण्डल की बैठक में पुष्टि हेतु रखना आवश्यक होगा।

उपविधि क्रमांक 41(स)

वह सब कार्यवाही जो कि संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत हुई हों और जिसके संबंध में चर्चा या निर्णय हुआ हों, कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जावेगी, कार्यवाही विवरण प्रबंधक द्वारा रखी जावेगी और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर बैठक के तत्काल बाद निर्णय/प्रस्ताव के विवरण के ठीक नीचे लिए जावें। कार्यवाही पुस्तिका संस्था के प्रबंधक की अभिरक्षा में रहेगी।

उपविधि क्रमांक (42) प्रबंधक की शक्तियाँ एवं कृत्य :–

प्रबंधक संस्था की प्रबंध समिति व अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण पर काम करेगा। उसके कर्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे :–

42(1) पंजीयक के निर्देशों के अनुरूप संस्था में – निर्धारित आवश्यक रजिस्टरों तथा कागजातों को व्यवस्थित और चालू रखना। संस्था के वेतन भोगी कर्मचारियों के काम की निगरानी करना एवं उनको मार्गदर्शन देना।

42(2) पावतियों रसीदें, व्हाउचर्स, चैक, अन्य दस्तावेज तैयार करना व उन पर संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति से हस्ताक्षर कराना।

42(3) संस्था की ओर से सभी पत्र व्यवहार करना। अध्यक्ष की सहमति से आमसभा, संचालक मण्डल की बैठक बुलाना। संचालक मण्डल के निर्णयों की उपविधियों के अनुसार सूचना देना।

42(4) आमसभा संचालक मण्डल की बैठक में उपस्थित रहना तथा उनकी कार्यवाही, कार्यवाही पुस्तिका में लिखना। कार्यवाही विवरण के नीचे उपस्थित सदस्यों (संचालक मण्डल के) हस्ताक्षर कराना।

42(5) संस्था के व्यापारिक स्कन्ध की जांच करना एवं समय–समय पर भौतिक सत्यापन करना।

42(6) प्रबंध समिति की स्वीकृति के अनुसार आकस्मिक व्यय करना।

42(7) प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक गत वर्ष के आय–व्यय व वार्षिक पत्रक तैयार कराना और 31 मई तक उपविधियों/नियमों में निर्धारित अधिकारी को भेजना।

42(8) रजिस्टरों की प्रतिलिपों को आवश्यकता पड़ने पर प्रकाशित करना।

42(9) ऑडिट या अन्य अधिकारियों की निरीक्षण टीप के उत्तर तैयार कर संचालक मण्डल के समक्ष रखना।

42(10) बजट प्रावधानों के अनुसार संचालक मण्डल द्वारा दिए गए अधिकारों अनुसार व्यय करना।

42(11) भंडार द्वारा एकत्रित या प्राप्त समस्त राशियाँ समिति के बैंक खातों में जमा कराना।

42(12) वे अन्य कार्य जो संचालक मण्डल द्वारा सौंपे जाये।

उपविधि क्रमांक (43) अध्यक्ष व प्रबंधक का दायित्व :–

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था
मर्यादित–भोपाल

43(1) अध्यक्ष और वैतनिक प्रबंधक संस्था की नगद रकम या सम्पत्ति या किसी भी प्रकार का दुरूपयोग करने और उसे हड़प लेने के लिये अथवा संस्था के कामकाज में हुई वित्तीय हानि के लिये उत्तरदायी होंगे।

43(2) अध्यक्ष/वैतनिक/प्रबंधक ऐसे विवरणों और विनियम ब्यौरों को नियमित रूप से भेजने के लिये उत्तरदायी होगें जो पंजीयक, शासन या संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जावें। वे लेखा परीक्षा निरीक्षण टीपों के संस्था को प्राप्त होने के तारीख से 45 दिन के अंदर निराकरण करेंगे।

उपविधि क्रमांक (44) सदस्यों के हितों के विरूद्ध कार्य करने के लिए और कर्मचारियों के कर्तव्य पूरा न किये जाने के लिए शास्तियाँ:–

मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 74 में उल्लेखित कृत्य जो कि अपराध की श्रेणी में आते हो, के लिए दोष सिद्ध पाये जाने पर धारा 75 अनुसार शास्तियाँ आरोपित की जा सकती है। संबंधितों को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अस्वीकार/गलत सिद्ध किये जाने अथवा शास्ति के निर्णय के विरूद्ध अपील करने का अधिकार अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

उपविधि क्रमांक (45) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/कृत्य, लेखा परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया और लेखा परीक्षा के अनुपालन की समय–सीमा :–

संस्था के आडिट संचालन हेतु पंजीयक म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम – 1960 की धारा–58 के अनुसार कार्य कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक (46) संस्था की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और वाद दायर करने और वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाही में बचाव करने के लिये किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकार :–

संस्था द्वारा किये जाने वालो सामाप्य पत्र व्यवहारों, जानकारी, प्रपत्रासें पर प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर समिति अध्यक्ष हस्ताक्षर कर सकेगें। कानूनी वाद/ अनुबन्धों पर संचालक मण्डल द्वारा नामांकित अधिकारी सदस्यों द्वारा कार्यवाहियों की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (47) :–

47(1) संस्था जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक में चालू/बचत खाता खोल सकेगी। यदि ऐसा अधिकोष न हो तो कमेटी द्वारा स्वीकृत किसी अन्य अधिकोष में ऐसा खाता खोल सकती है। संस्था द्वारा प्राप्त की गई सभी रकमें उक्त खातें में जमा की जावेगी।

47(2) संस्था के आकस्मिक व्यय के लिये प्रबंधक रूपये – 500/– तक अपने पास रख सकेगा।

उपविधि क्रमांक (48) :–

48(1) संस्था से केवल उसके ही सदस्यों को ऋण दिया जावेगा, किसी सदस्य को ऋण लेने की आवश्यकता होने पर वह अपना प्रार्थना–पत्र प्रबन्धक के पास भेजेगा और उस प्रार्थना–पत्र में लिखेगा कि ऋण किसी कार्य हेतु कितना और किसी अवधि के लिये चाहिये और ऋण किसी प्रतिभूति पर दिया जावेगा। ऋण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगा।

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था
मर्यादित–भोपाल

48(2) सदस्य को घोषणा पत्र देना होगा कि उसके द्वारा अन्य किसी संस्था से ऋण नही लिया गया।

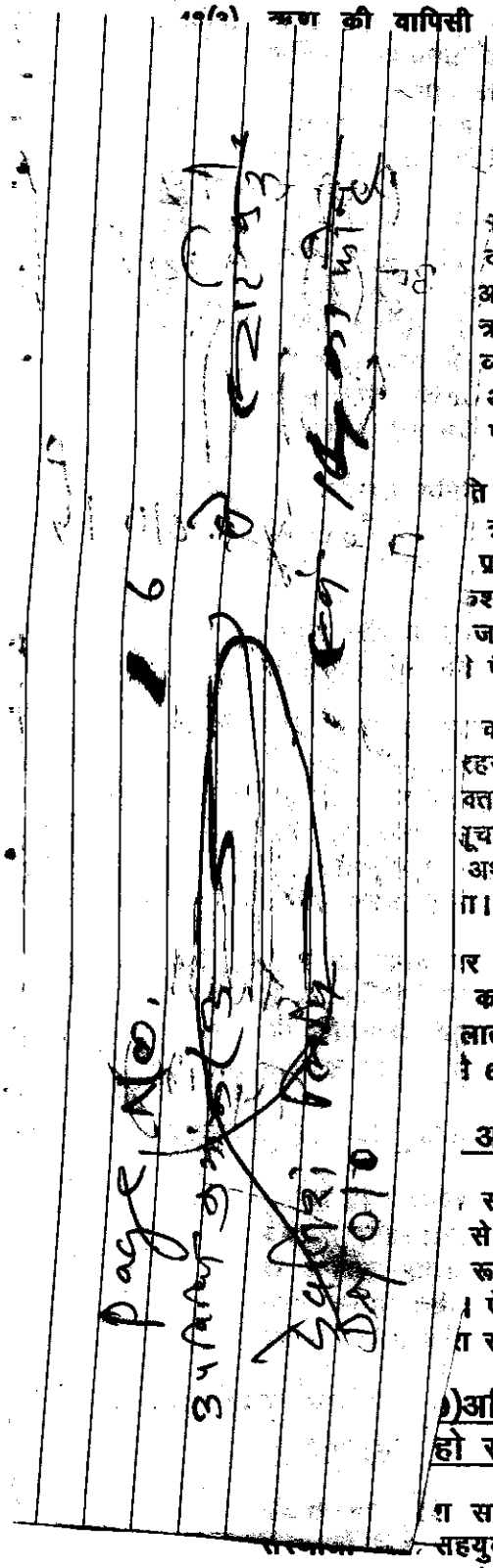

ऋण की वापिसी अधिकतम 60 मासिक किश्तों में करना होगी। कार्यकारिणी समिति को तारण पर दिये हुए ऋण की वापिसी की अवधि निर्धारित करने का ण की किश्त के साथ राशि रूपये एक सौ (100/–) मासिक अनिवार्य भी जमा करना होगी। ऋण की किश्त तथा अन्य देय रकम संस्था के में यदि किसी प्रकार का व्यय हुआ तो वह ऋणी को ही देना होगा।

दस्यों से, उनको अमानत के तारण तथा अन्य ऋणों पर प्रचलित बैंक ब्याज दो प्रतिशत अधिक ब्याज लिया जावेगा, ब्याज कटमिति सिद्धांत से लिया ओं के भीतर की ब्याज की दर में फेरबदल करने का अधिकार कार्यकारिणी ऋण जिस कार्य के लिये दिया गया हो वह उसी कार्य में लगाना होगा। यदि व्यय किया जावेगा तो कार्यकारिणी समिति सम्पूर्ण ऋण की रकम को तुरन्त और ऐसे ऋण की रकम पर ऋण देने की तारीख से साधारण ब्याज के पैसे प्रति रूपया प्रतिवर्ष की दर से दण्ड ब्याज भी लिया जावेगा।

ति को अधिकार होगा कि समाधान कारक कारण से किश्त समय पर जमा न ऋण पटाने की निर्धारित अवधि से अधिक से अधिक दो किश्तें, बढ़ा सके, प्रतिभूति दर (जमानतदार) की स्वीकृति के बिना संभव नही हो सकेगा, साथ श्त बढ़ाने से संस्था को कोई देना समय पर न किया जा सकता हो, तो जा सकेगी। अनाधिकृत रूप से दी गई किश्त की रकम पर साधारण ब्याज के पैसे प्रति रूपये, प्रतिमाह के हिसाब से दण्ड ब्याज लिया जावेगा।

के प्रतिभूमिदार की मृत्यु हो जाये अथवा कार्यकारिणी समिति का यह मत हो रहने के लिये अयोग्य हो गया है, अथवा तारण में दी हुई सम्पत्ति अपर्याप्त हो वत सदस्य को दूसरी प्रतिभूति देने के लिये तारण बढ़ाने के लिये सूचना देगी, सूचना में दी हुई अवधि पर वह दूसरा प्रतिभूति न देवे अथवा तारण न देवे तो अथवा तारण पर दिया हुआ सम्पूर्ण ऋण भय ब्याज के 30 दिन की अवधि में ा।

र वसूली करने का दायित्व कार्यकारिणी समिति का होगा, समिति का कर्तव्य कर्तव्य होगा कि वह कालातीत शेष ऋण की वैधानिक रीति से वसूली करने लातीत शेष ऋण की वैधानिक रीति से वसूली करने की कार्यवाही कालातीत 6 माह के अन्दर शुरू कर देवें।

अनिवार्य तथा अन्य अमानते :–

सदस्यों से अनिवार्य तथा अन्य अमानते जमा कराने एवं ऋण संबंधी नियम से अनुमोदित कराकर प्रभावशील कराना होगा। प्रत्येक सदस्य को इन नियमों रूपये 100/– संस्था में अनिवार्य तथा अन्य राशि अमानत आदि के रूप में ऐसी अमानतों पर समय–समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित ब्याज ा सदस्यों को ब्याज देय होगा।

)अनिवार्य वे शर्ते जिन पर सोसायटी अन्य सहकारी सोसायटियों हो सकेगी :–

ग सहकारी सोसायटी अधिनियम – 1960 की धारा 16–ए/क अनुसार अन्य सहयुक्त हो सकेगी। इस बाबत आवश्यक व्यवसाय शर्ते समय–समय पर आवश्यकतानुसार संचालक मण्डल या अधिकृत किये जाने पर अध्यक्ष द्वारा तय की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (51)वे शर्तें जिन पर संस्था सहकारी संस्थाओं से भिन्न संगठनों से व्यवहार कर सकेगी:–

संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहकारी संस्थाओं से भिन्न संगठनों से व्यवहार कर सकेगी। इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया व्यवहार की प्रकृति को देखते हुए संचालक मण्डल या अधिकृत किये जाने पर अध्यक्ष द्वारा तय की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (52)अधिकार, यदि कोई हो, जो सोसायटी किसी सोसायटी या अन्रू परिसंघ को प्रदत्त कर सके और वे परिस्थितियां जिनके अधीन इन अधिकारों का प्रयोग संघ/संघों द्वारा किया जा सकेगा :–

संस्था किसी अन्य सहकारी संस्था अथवा परिसंघ को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के पालन में व्यावसायिक हितों बाबत अधिकार संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रदान कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक (53)परिसमापन के अधीन निधियों के व्यजन की रीति :–

संस्था के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा आवेदन किये जाने पर, पंजीयक परिसमापन का आदेश जारी कर सकेगा, इस प्रकार के आदेश में उस प्रयोजन के लिये एक समापक नियुक्त कर सकेगा और उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो समापक के रूप में नियुक्त किया गया हो, किसी भी समय हटा सकेगा और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा। इस प्रकार की गई नियुक्ति की सूचना लिखित में संस्था को सूचित की जावेगी। समापक म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम – 1960 के अनुसार संस्था के हित में कार्यवाहियां करेगा।

उपविधि क्रमांक(54) संस्था के लिए लेखा वर्ष :–

संस्था का लेखा वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का होगा।

उपविधि क्रमांक (55)सदस्य की मृत्यु की दशा में शेयरों तथा हित का नाम निर्देशिती के नाम अंतरण :–

किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके शेयरों तथा हितों का अंतरण संबंधी कार्यवाहियों मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा –26 के अनुसार की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (56) संस्था के विघटन की प्रक्रिया :–

किसी भी समय जबकि संस्था के 75 प्रतिशत से अधिक सदस्य लिखित में ऐसा प्रस्ताव करेंगें, जो कि संस्था के संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया हो, द्वारा संस्था के विघटन की प्रक्रिया प्रांरभ हो सकेगी। 75 प्रतिशत से अधिक के बहुत से सदस्य पंजीक को संस्था को विघटित मान्य करने का आवेदन कर सकेंगें तथा पंजीयक द्वारा निमित कोई अधिकारी नामांकित किया जा सकेगा जो सुनिश्चित करेगा कि विघटित हो चुकने का आदेश पारित करने पर संस्था की अपनी सभी प्रकार की देयताओं का चुकारा करने के बाद बची शेष निधियों को किसी सहकारी बैंक या जहां पर संस्था का बैंक में खाता हो, में जमा करायेगा तथा सदस्यों की आमसभा उपविधियों अनुसार बुलाकर सदस्यों के 2तिहाई बहुमत से निर्णय करायेगा कि संस्था की चल/अचल सम्पत्तियों के निपटान/विक्रय की क्या प्रक्रिया अपनाई जाये तथा इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निपटान/विक्रय से प्राप्त राशियों को नामांकित अधिकारी संस्था के बैंक खाते में जमा कराया जावेगा। उक्त कार्यवाहियों पूर्ण हो जाने पर वह अपना प्रतिवेदन, पूर्ण

अध्यक्ष
प्रगतिशील सहकारी शाख संस्था
भोपाल

निधियों का विवरण देते हुए पंजीयक को देगा कि ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद संस्था को विघटित घोषित करेगा तथा नामांकित अधिकारी के माध्यम से संस्था की निधियों को उनकी अंशपूँजी के प्रतिशत के आधार पर सदस्यों को बांट सकेगा।

उपविधि क्रमांक (57) संस्था के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वसहायक समूहों का गठन और उनके लिये शिक्षा /प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना:–

संस्था का संचालक मण्डल आवश्यक समझने पर इसके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वसहायक समूहों के गठन में आवश्यक मार्गदर्शन व सहायता प्रदान कर सकेगा तथा उपविधि क्रमांक –21 अनुसार राशियां अधिशेष रहने पर वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके लिए शिक्षा/प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर सकेंगे।

उपविधि क्रमांक (58) अपील :–

संस्था के संचालक मण्डल/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा पारित /जारी किसी आदेश / निर्णय के विरूद्ध संबंधित द्वारा आदेश / सूचना प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के अन्दर पंजीयक के समक्ष पूर्ण विवरण/प्रमाणों के साथ अपील की जा सकेगीं।

उपविधि क्रमांक (59) प्रबंधक हेतु अनिवार्यताऐं :–

59(1) संचालक मण्डल संस्था हेतु एक प्रबंधक नियुक्त करेगी। उसे वेतन, भत्ते/पारिश्रमिक दिया जावेगा। संस्था के उद्देश्यों को देखते हुए संचालक मण्डल, प्रबंधक हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यताऐं। कार्य अनुभव बाबत् मार्गदर्शक निर्देश प्रदान कर सकेगी।

59(2) प्रबंधक के पद पर केवल उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी जो:–

1. न्यूनतम स्नातक शिक्षा या समतुल्य शैक्षणिक योग्यताओं का धारक हो।
2. किसी अन्य सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का सदस्य न हो,
3. किसी शासकीय/सहकारी संस्था से हटाया/बर्खास्त न किया गया हो,
4. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में कार्य करने में मदद कर सके,
5. किसी नैतिक अधोपन के अपराध के लिए सजा न हुई हो,
6. दिवालियां घोषित न किया गया हो,
7. वैधानिक रूप से अनुबंध करने के लिए सक्षम हो।

उपविधि क्रमांक (60)अमानतें तथा ऋण लेना व ब्याज की दरें:–

60(1) प्रबंध समिति जमा रकम के तरीके को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से रकमें उधार लेने के लिये सक्षम होगी। परन्तु इस प्रकार उधार रकम पर दी जाने वाली ब्याज की दरें किसी कभी हालत में उस सहकारी केन्द्रीय बैंक अपने द्वारा दी गई रकम पर मिलने वाले ब्याज की दर से अधिक नहीं हो जिसे क्षेत्र में यह संस्था आती है।

60(2) प्रबंध समिति अनुसूचित बैंको, म0प्र0 वित्त निगम या औद्योगिक विकास बैंक या सहकारी समितियों अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अधिपोषित संस्थाओं से भी रकमें उधार लेने के लिये सक्षम होगी। परन्तु इस प्रकार उधार ली जाने वाली रकमों के लिये पंजीयक, सहकारी समितियों की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

उपविधि क्रमांक (61) वित्त प्रदाय बैंक व अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध :–

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था

61(1) यह संस्था भोपाल केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबंधित रहेगी जो उनकी आर्थिक सहायता देने वाली संस्था होगी।

61(2) जिला सहकारी संघ की भी यह संस्था सदस्य होगी।

उपविधि क्रमांक (62) हिसाब के तथा अन्य रजिस्टर :–

हिसाब की पुस्तके तथा अन्य रजिस्टर सहकारी सोसायटी अधिनियम/नियम तथा सहकारी संस्थाओं के पंजीयक की आज्ञा के अनुसार रखे जावेंगे, इनके अतिरिक्त संस्था जो रजिस्टर तथा पत्रक रखना आवश्यक समझे वे भी रखे जायेगे।

सामान्यतः निम्नलिखित रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा :–

(1) रोकड़ बही (2) खाता बही (3) व्यक्तिगत – खाता बही (4) सदस्य – पंजी, (5) हिस्से और हिस्सेदारी पंजी, (6) निक्षेप पंजी, (7) वार्षिक साधारण सभा व प्रबंधक समिति की कार्यवाही पुस्तक (8) सदस्यता हेतु आवेदन पंजी, (9) कच्चे माल की पंजी , (10)तैयारी माल की प्राप्ति पंजी , (11) छूट – दावा पंजी, (12) सदस्यों के वैध उत्तराधिकारी के मनोनयन की पंजी (13) उत्पादन बिक्री पंजी, (14) मजदूरी पंजी , (15) निरीक्षण पंजी, (16) आवक जावक पंजी व अन्य आवश्यक अभिलेख जो कारोबार के लिये आवश्यक है।

उपविधि क्रमांक (63) (संस्था की मुद्रा):–

संस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबंधक के पास रहेगी और जिसके द्वारा अधिकृत अधिकारी कर सकेगें इस लिखतम पर जिस पर यह मुद्रा लगाई जावेगी, समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधक के अथवा ऐसे पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होगें, जिन्हें समिति ने इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हो।

उपविधि क्रमांक (64) विवाद:–

विवाद जो इन उपविधियों के अथवा संस्था के संबंध में मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा –64 के अन्तर्गत हो, निर्णय के लिये सहकारी संस्थाओं के पंजीयक को प्रस्तुत होगें जो उक्त विधान तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार उसका निर्णय करेगें।

उपविधि क्रमांक (65)समझौता समिति :–

सदस्यों के साथ कोई विवाद हो तो उसका निर्णय एक समझौता समिति के द्वारा कराया जायेगा जिसमें संस्था की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचित एक सदस्य, उस सदस्य का मनोनीत एक व्यक्ति तथा सहकारी संस्थाओं के पंजीयक ने मनोनीत किया हुआ एक व्यक्ति होगा। इस संबंधी उन करार पत्रों में जो असदस्यों के साथ किये जाने, प्रयोजन रखा जाना आवश्यक होगा।

उपविधि क्रमांक (66) सूचना पत्र की तामीली :–

इन उपविधियों में जहां बताया गया है कि किसी सदस्य को लिखी सूचना पत्र दिया जावेगा तो उसे सूचना पत्र का ऐसे सदस्य को स्वयं दिया जाना अथवा पंजीकृत डाक से उस पते पर जो संस्था के सदस्यों के रजिस्टर में नोट किया हुआ हो, भेजा जावेगा।

उपविधि क्रमांक (67)विविध:–

68(क) अन्य बातें जिनका पृथक उल्लेख इन उपविधियों में न किया गया हो, सहकारी संस्था विधान सभा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार की जावेगी।

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था
भोपाल

68(ख) संस्था म0प्र0 सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 के अन्तर्गत राज्य शासन पंजीयक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के लिए संस्था बाध्य होगी।

उपविधि क्रमांक (68) कर्मचारियों के नियम व सेवा शर्तें :–

पंजीयक के अनुमोदन के अधीन संस्था कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा, शर्तों प्रवास भत्ता , छुट्टी , निवृत्ति , वेतन या सामान्य भविष्य निधि इत्यादि तथा प्रबंध समिति के सदस्य को देय प्रवास भत्ते आदि के संबंध में नियम बनायेगी।

उपविधि क्रमांक (69) घाटे का दायित्व :–

संचालक मण्डल के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबंधक इत्यादि जिनकों संस्था के संचालक के संबंध में अधिकार है, व्यवहासर कुशल व्यक्ति के समान सब काम चिन्ता से व सावधानी से करेगें और उस हानि के लिये उत्तरदायी होगें जो कि सहकारी संस्था विधान, उसके अंतर्गत नियम और इन उपविधियों के विरूद्ध काम करने से संस्था को हुई हो। किसी वर्ष में घाटा होने की दशा में संस्था की प्रबंध समिति घाटे के कारणों को संस्था की साधारण सभा में प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा परीक्षण पर घाटे की पूर्ति के लिये आवश्यक निर्देश प्रबंध समिति को देगी।

उपविधि क्रमांक (70) कर्मचारियों की रक्षा विधि :–

संस्था के लिये आवश्यक होगा कि अपने कर्मचारियों तथा कामगारों के लिये भविष्य रक्षा निधि का निर्माण करें।

उपविधि क्रमांक (71) पंजीकृत पता व संस्था का नाम संप्रदर्शन :–

71(क) म0प्र0 सहकारी समितियाँ नियम 1962 के नियम 22(1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर संचालक मण्डल संस्था का पता पंजीयक को प्रेषित करेगा। नियम–22 (3) में वर्णित अनुरूप संस्था पंजीकृत पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना संचालक मण्डल द्वारा पंजीयक को तत्काल दी जावेगी। पंजीकृत पते में प्रस्तावित परिवर्तन पंजीकृत करने के उपरांत ही संशोधित माना जावेगा।

71(ख) संस्था अपने पंजीकृत कार्यालय जहां–जहां यह कारोबार करता है वहां , संस्था द्वारा जारी की गई समस्त सूचनाओं एवं अधिकारिक प्रकाशनों में, अपनी समस्त संविदानों पर कारोबारी पत्रों पर , माल के लिये आदेशों में बीजक, लेखाओं के विवरण पर और समस्त कारोबारी पत्रों पर संस्था का नाम, पंजीकृत कार्यालय का विवरण पर और समस्त कारोबारी पत्रों पर संस्था का नाम, पंज्रीकृत कार्यालय का पता और "मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत" अनिवार्य रूप से लिखेगी।

उपविधि क्रमांक (72) अन्य इकाई स्थापना :–

संस्था पंजीयक की अनुमति के बिना संस्था की कोई शाखा कार्यक्षेत्र से बाहर स्थापित नहीं करेगा।

उपविधि क्रमांक (73) दस्तावेजों का निष्पादन :–

रसीदों को छोड़कर संस्था की ओर से निष्पादित सारे मांग पत्रों (चार्जिस)या अन्य लिखित पर संस्था के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष, प्रबंधक और संचालक मण्डल के एक अन्य सदस्य के हस्ताक्षर रहेंगे। प्रबंध समिति के अधिकार प्राप्त कर प्रबंधक रसीदों पर हस्ताक्षर करेगें।

अध्यक्ष
म.प्र.कनकधारा सहकारी शाख संस्था
मर्यादित–भोपाल

उपविधि क्रमांक (74) भवन सम्पत्ति :–

अपने निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संस्था को जिन कार्यालय, छावरियों (शेड्स) और गोदामों की आवश्यकता हो उन्हें वह पंजीयक की पूर्व मंजूरी से बना सकेगी या किराये पर ले सकेगी तथा इस प्रयोजन के लिये भूमि प्राप्त करेगी।

अध्यक्ष
म.प्र.कन्नकधारा सहकारी शाख संस्था
मर्यादित–भोपाल